

12-09-25

डा. जयसुख कुमार

वकील प्रार्थी द्वारा प्राप्ता पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल वाद झी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र अयोग्य होने के कारण झी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली का उचित तरीका तकमिल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अधीनस्थ अधिकारी)  
घड़साना RAS